"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206-अ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 सितम्बर 2005—भाद्र 14, शक 1927

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/27/2005/वा.कर (आब.)/पांच (44).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर विक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, यथा :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम-4 के उप-नियम (4) में शब्द तथा अंक "रुपये 8.00 करोड़" जहां भी वे आये हैं, के स्थान पर शब्द तथा अंक "रुपये 10.00 करोड़" प्रतिस्थापित किया जाय.

2. नियम-7 के उप-नियम (2) में शब्द, समूह "राष्ट्रीयकृत बैंक" के पश्चात् शब्द, समूह "अथवा शैड्यूल्ड कामर्शियल बैंक" प्रतिस्थापित किया जाय.

3. नियम-11 के खण्ड (क) एवं (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

(क) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समूह/समूहों के लिए प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करने तथा समुचित जांच करने के उपरांत, चयन के लिए उपयुक्त पाए गए आवेदन पत्रों की सूची समिति के सदस्य, सचिव द्वारा तैयार की जाकर, चयन करने के पूर्व, सभी आवेदकों के अवलोकन के लिए कलेक्टर/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जायेगी तथा उक्त सूची संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी.

(ख) उक्त समिति, उपयुक्त पाए गए आवेदकों की सूची में से अनुज्ञप्तिधारियों का चयन करेगी, यदि किसी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समूह/समूहों के लिए एक से अधिक आवेदक उपयुक्त पाए जायें, तो समिति ऐसी दुकानों के समूह/समूहों के लिए अनुज्ञप्तिधारी का चयन राज्य शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के अंतर्गत कम्प्यूटर द्वारा सार्वजनिक लॉटरी से करेगी, जिसमें तीन आवेदकों का चयन क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय के रूप में किया जायेगा.

4. नियम 11 के खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

(ख-1) यदि प्रथम चयनित आवेदक द्वारा चयन की सूचना के तीन दिवस के भीतर वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12वाँ भाग प्रतिभूति धनराशि अग्रिम रूप में जमा नहीं किया जाता है अथवा अन्य किसी कारण से उसका चयम निरस्त हो जाता है, तो चयन सूची के दूसरे क्रम के आवेदक को संबंधित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समूह का आवंटन किया जा सकता है.

(ख-2) यदि दूसरे क्रम के आवेदक द्वारा भी अपने चयन की सूचना के तीन दिवस के भीतर वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12वाँ भाग प्रतिभूति धनराशि अग्रिम रूप में जमा नहीं किया जाता है अथवा अन्य किसी कारण से उसका चयन निरस्त हो जाता है, तो चयन सूची के तीसरे क्रम के आवेदक को संबंधित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समूह का आवंटन किया जा सकता है.

(ख-3) देशी/विदेशी मदिरा दुकान/दुकानों के समूहों को आवेदन प्रणाली में आवंटन की कार्यवाही यदि किसी कारणवश नियत तिथि को पूरी नहीं होती है, तो आवंटन हेतु शेष रही दुकानों/समूहों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की कार्यवाही उस जिले के कलेक्टर द्वारा अन्य घोषित किसी भी दिन की जा सकेगी, जिसके लिए संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा संक्षिप्त विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जावेगा.

5. नियम-13 के अन्त में निम्न शब्द, समूह, वाक्य जोड़ा जाए :—

इस नियम के अधीन ऐसे व्यतिक्रमी/व्यतिक्रमियों की समेकित सूची, उनके पूरे पते सहित समस्त जिला कलेक्टरों के द्वारा प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी को भेजी जाएगी तथा समस्त जिलों में अन्य जिलों से प्राप्त सूची एवं उनके जिले की सूची के अनुसार यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व संबंधित जिले के अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी का होगा, कि ऐसे व्यतिक्रमी/व्यतिक्रमियों के द्वारा उनके जिले में आबकारी लायसेंस प्राप्त न किया जा सके.

6. नियम-14 के खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

(ग) दिनांक 1-4-2005 से देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए मदिरा प्रदाय पर ड्यूटी की दरें नीचे सारणी में दर्शाये **अनुसार** होंगी :—

सारणी

क्र. (1)	मदिरा का प्रकार (2)	निर्धारित ड्यूटी दर (3)
(1)	**देशी मदिरा :**	
	मसाला 25.0 यू.पी. प्लेन 50.0 यू.पी. रासी 70.0 यू.पी.	रुपये 48/- प्रति प्रूफलीटर
(2)	**विदेशी मदिरा—(स्प्रिट) :** एक्स फैक्ट्री प्राईस प्रति पेटी अर्थात् (12 बोतल)	
	1. रुपये 900/- तक	रुपये 70/- प्रति प्रूफलीटर
	2. रुपये 900/- से अधिक	रुपये 100/- प्रति प्रूफलीटर
(3)	**बीयर (माल्ट मदिरा) :**	रुपये 10/- प्रति क्वार्ट बोतल
(4)	(क) विदेशी मदिरा सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनकी संस्थाओं/क्लबों के लिए.	रुपये 21/- प्रति प्रूफलीटर
	(ख) बीयर (माल्ट लिकर)	रुपये 2/- प्रति क्वार्ट बोतल

7. नियम-17 में अंकित शब्द, समूह, वाक्य ''देशी मदिरा बोतलों पर फुटकर बिक्री दर प्रदायकर्त्ता द्वारा मुद्रित कराई जायेगी'' विलोपित किया जाता है एवं इसके स्थान पर शब्द, समूह, वाक्य ''देशी मदिरा के फुटकर बिक्री दर तथा'' प्रतिस्थापित किया जाता है.

8. नियम-23 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(ग) यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियम-8 के खण्ड (ग-1) के अंतर्गत प्रस्तुत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है.

9. नियम-23 के उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऊपर उल्लिखित आधार पर अनुज्ञप्ति को तत्काल निलंबित अथवा निरस्त करने की कार्यवाई, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत करेगा, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी को उसकी अनुज्ञप्ति को निलंबित या निरस्त करने तथा उसकी जमा प्रतिभूति धनराशि को राजसात करने के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जायेगा और अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा की जाएगी कि, वह अपना स्पष्टीकरण कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करे. तत्पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का सम्यक् अवसर देने के पश्चात्, विधिवत् आदेश पारित करेगा.

10. नियम-23 के उप-नियम (4) में शब्द, समूह, वाक्य ''कालीसूची में भी डाला जा सकता है तथा भविष्य में कोई भी आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित किया जा सकता है'' के स्थान पर शब्द, समूह, वाक्य ''काली सूची में भी डाला जायेगा तथा भविष्य में कोई भी आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित किया जायेगा'' प्रतिस्थापित किया जाये.

11. प्रपत्र सी. एस. 2घ की शर्त क्रमांक 17 में अंक तथा अक्षर ''18 वर्ष'' के स्थान पर अंक तथा अक्षर ''21 वर्ष'' प्रतिस्थापित किया जाये.

12. प्रपत्र एफ.एल. 1घ की शर्त क्रमांक 4 तथा 12 में अंक तथा अक्षर "18 वर्ष" के स्थान पर अंक तथा अक्षर "21 वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. यह संशोधन दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2005

क्रमांक एफ-10/27/2005/वा.कर(आब.)/पांच(44).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/27/2005/वा.कर (आब.)/पांच (44), दिनांक 5-9-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 5th September 2005

NOTIFICATIONS

No. F-10/27/2005/CT (Ex.)/V (44).—In exercise of the powers conferred by clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) and proviso of sub-section (3) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh Excise Settlement of Licenses for retails sale of Country/Foreign Liquor Rules, 2002, namely :—

AMENDMENTS

In the aforesaid rules :—

1. In sub-rule (4) of rule-4 the word and figure "Rupees 10.00 Crore" wherever they occur shall be substituted for the word and figure "Rupees 8.00 Crore."

2. In sub-rule (2) of rule-7 after the word, group "Nationalized Bank", word, group "or Scheduled Commercial Bank" shall be inserted.

3. The following clause be substituted for clause (a) and (b) of rule-11, namely :—

(a) The Member Secretary of the Committee after listing and sufficient inquiry of all applications received for group/groups of country/foreign liquor retail shops, shall prepare a list of suitable applications for selection for perusal of all applicants will be displayed on the notice board of the office of Collector/Assistant Commissioner Excise/District Excise Officer before selection and said list shall be placed before the district level Committee with a brief report.

(b) The said Committee shall make a selection of licensees from among the applicants in the approved list. In the event more than one applicant found fit for selection for any group/groups of Country/Foreign liquor retail shops, the Committee shall for such group/groups shops shall select licensee by open lottery drawn by computer as per the procedure prescribed by the State Government in which three applicants shall be listed as first, second and third.

4. After clause (b) of rule-11 the following sub-clause be inserted, namely :—

(b-1) If the applicant selected first, does not deposit in advance the security amount equal to 1/12th of the duty amount payable on the fixed annual minimum guaranteed quantity within three days of being informed of selection or if his selection stands cancelled on other valid grounds, the selected second may be allotted that group of country/foreign liquor retail shops.

(b-2) If the applicant selected second too fails to deposit in advance the security amount equal to 1/12th of the duty amount payable on the fixed annual minimum guaranteed quantity within three days of being informed of selection or if his selection stands cancelled on other valid grounds, the applicant selected third may be allotted the concerned group of country/foreign liquor retail shops.

(b-3) If allotment of groups of Country/Foreign Liquor shop/shops could not be made through application system for any reason whatsoever within the stipulated date, then steps for invitation of applications for the allotment of the remaining shop/groups shall be taken by the Collector of that district on any declared date for which brief notifications shall be published by the Collector of the concerned district.

5. Following word, group, sentence shall be added at the end of rule-13 :—

Under this rule a complete updated list of such defaulter/defaulters with their complete address shall be sent by all District Collectors to all District Collectors/Assistant Commissioner Excise/District Excise officer of the State and in all districts it is the duty of the Licensing Authority and Assistant Commissioner Excise /District Excise Officer of the concerned district to ensure from the list obtained from other district as well as from the list of their districts that such defaulter/defaulters do not obtain excise licenses in their district.

6. Following clause shall be substituted for clause (c) of rule-14, namely :—

(c) The duty rate of liquor for supplied to retail shops of Country/Foreign Liquor from 01-04-2005 shall be as shown in the table given below :—

TABLE

S. No. (1)	Kind of Liquor (2)	Fixed Duty Rate (3)
1.	**Country Liquor:**	
	Masala 25.0 U.P. Plain 50.0 U.P. Rasi 70.0 U.P.	Rs. 48/- per P. L.
2.	**Foreign Liquor (Spirit):** Ex-Factory Price per Case means (12 Bottles)	
	1. Upto Rs. 900/-	Rs. 70/- Per P. L.
	2. Above Rs. 900/-	Rs. 100/- per P. L.
3.	**Beer (Malt liquor) :**	Rs. 10/- per Quart Bottle
4.	(a) Foreign liquor for Army and Para Military Forces/Their Institutions/Clubs.	Rs. 21/- per P. L.
	(b) Beer (Malt Liquor)	Rs. 2/- per Quart Bottle.

7. In rule 17 word, group, sentence "Retail Selling price on country liquor bottle shall be printed by the supplier" shall be deleted and word, group, sentence "Retail price of country liquor and" shall be substituted, in its place.

8. The following clause be substituted for clause (c) of sub-rule (1) of rule-23 :—

(c) If the affidavit submitted under clause (c-1) of rule 8 by any licensee is found erroneous and statement made there in found untrue.

9. Following sub-rule shall be substituted for sub-rule (2) of rule 23, namely :—

(2) The licensing authority on above-mentioned grounds shall immediately take action for suspension or cancellation of the license under the provisions of Section-31 of Chhattisgarh Excise Act, 1915, whereby the licensee shall be served with a show-cause notice for suspension or cancellation of the license and forfeiture of his Security amount deposited and it is expected of the licensee to furnish his explanation within 7 days of the receipt of the showcause notice. Thereafter the licensing authority shall after giving, timely opportunity of being heard to the licensee shall, pass order as per law.

10. In sub-rule (4) of rule 23 word, group, sentence "shall also be blacklisted and shall be debarred from holding any excise license in future" be substituted for word, group, sentence "may also be blacklisted and debarred from holding any excise license in future".

11. In condition No. 17 of form C.S. 2 D, figure and word "21 years" shall be substituted for figure and word "18 years."

12. In condition No. 4 and 12 of form F. 1. 1D, figure and word "21 years" shall be substituted for figure and word "18 years."

2. This amendent shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2005.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 6 सितम्बर 2005—भाद्र 15, शक 1927

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक 7068/21-ब (छ.ग.) 2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 522/दो-30/2001 दिनांक 31-8-2005 के अनुपालन में श्री तपन कुमार चक्रवर्ती, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम की सेवायें राज्यपाल सचिवालय में विधिक सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु आगामी आदेश तक सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 6 सितम्बर 2005—भाद्र 15, शक 1927

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2005

आदेश

क्रमांक 7083/21-ब/छ. ग./2005.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड एक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य शासन, एतद्द्वारा स्थानापत्र, अस्थायी रूप से नियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री ब्लासियस टोप्पो को उनके वर्तमान पद की सेवायें समाप्त कर उन्हें उनके मूल पद सिविल न्यायाधीश वर्ग एक एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 212] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 6 सितम्बर 2005—भाद्र 15, शक 1927

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2005

आदेश

फा. क्र. 7082/21-ब(छ. ग.) 2005.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड एक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश वर्ग-एक एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो वर्तमान में उच्च न्यायिक सेवा में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त हैं, को उच्च न्यायिक सेवा में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अस्थायी रूप से नियुक्त करता है :—

1. श्रीमती रजनी दुबे
2. श्री नीलम चंद सांखला
3. श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी
4. श्री रविशंकर शर्मा
5. श्री विजयेन्द्र नाथ पाण्डेय
6. श्री विनय कुमार कश्यप
7. श्री दीपक कुमार तिवारी
8. श्री राधा किशन अग्रवाल
9. श्री गोविन्द कुमार मिश्रा

10. श्री निर्मल मिंज
11. श्री सेवक राम बंजारे
12. श्री अग्रलाल जोशी
13. श्री नन्द कुमार सिंह ठाकुर
14. श्री लोचन राम ठाकुर
15. श्रीमती अमृता संजय लाल

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 213] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2005—भाद्र 18, शक 1927

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक/2832/सी.एम./घोषणा/6/04-05/14-3.—"कृषि उपज की सूची" संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है. उक्त अधिनियम की उक्त धारा द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार एतद्द्वारा इसके द्वारा प्रभावित उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती है तथा एतद्द्वारा सूचित करती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से छ: सप्ताह के अवसान पर विचार किया जाएगा.

उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, रायपुर को कार्यालयीन समय के दौरान दाऊ कल्याण सिंह भवन, कक्ष क्रमांक-149 में प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त अनुसूची में,—

"कृषि उपज की अनुसूची" में मद 12 के अनुक्रमांक 2 "हर्रा" एवं अनुक्रमांक 6 "गोंद" (सब प्रकार) का लोप किया जाए.

Raipur, the 9th September 2005

NOTIFICATION

No./2832/C.M./Dec./6/04-05/14-3.—The following draft of Amendment "Schedule of Agricultural Produce" which state Government proposes to make in exercise of powers conferred by Section 60 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) is hereby published as required by the said section of the said Adhiniyam for information of all persons likely to be effected thereby and notice hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of six weeks from the date of publication of this notice in the "Chhattisgarh Gazette."

Any objections or suggestions which may be received by the Secretary, Government of Chhattisgarh, Agriculture Department, Raipur during office hours at Dau Kalyan Singh Bhawan, Room No. 149 from any person with respect to the said draft before the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT AMENDMENT

In the said Schedule,—

In serial number 2 "Harra" and serial number 6 "Gond" (of all categories) of the item Twelve in "schedule of Agricultural Produce" shall be omitted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.